FORM No. III

App. A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

लक्ष्मण सिंह बनाम रघुवीर सिंह

मुकदमा 111, 128 एस० आर० एस० नं. 133 सन् 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 विरूद्ध विपक्षी गण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 7/1/21 को पेश हो।	
7/1/21	
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 16/3/21 को पेश हो।	
आज्ञा से रीडर	
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 14/5/21 को पेश हो।	
आज्ञा से रीडर	
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर
अहक
हुक्म
में ज

20-7-21

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली तारीख आदेश दिनांक 30/7/21 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

14/10/21

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली तारीख आदेश दिनांक 20/1/22 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

24/11/21

पत्रावली आज दिनांक 24/11/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी/प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि के पत्थरगढ़ी करने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली आपसी सहमति से निर्णित की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर भाग्य किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व त
अहकाम
हुक्म की त
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गॉवां के संग अभियान मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर.ए.एस.)

प्र0सं0 – 193/2020

उनवान

लक्ष्मणसिंह पिता नारायणसिंह राजपुत नि0 लाम्बा तहसील बनेड़ा हाल मुकाम शास्त्रीनगर भीलवाडा जिला भीलवाड़ा राज0

———————— (प्रार्थी)

बनाम

1. रघुवीरसिंह पिता नारायणसिंह राजपुत नि0 लाम्बा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. हेमेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि0 लाम्बा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. सुरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत नि0 लाम्बा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. कन्हैयालाल पिता चतरभूज गुर्जर नि0 लाम्बा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. लादूलाल पिता सोहनलाल बांगड नि0 ए–110, शास्त्रीनगर भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————————(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 22.05.2021

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 05.11.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लामणिया तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 210 के आ0न0 961, 962, 963, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1069, 1170 कुल किता 13 रकबा 71–03 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 01 से 03 सह खातेदार है एवं विपक्षी संख्या 01, 05 पड़ौसी काश्तकार हैं। पक्षकारान के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः मौके पर निरीक्षण किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा भील.

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय प्रशासन गॉवो के संग केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 22.11.2021 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने व वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निंविवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बामणिया तहसील बनेडा की कृषि भूमि खाता संख्या 210 के आ0न0 961 , 962 , 963 , 1052 , 1053 , 1054 , 1055 , 1056 , 1057 , 1058 , 1059 , 1069 , 1170 कुल किता 13 रकबा 71–03 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करा (विधिवत तामील करा) बसामिलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 7200/–रूपये फ़ीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गॉवो के संग केम्प बनेडा मे सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested